International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 2, February 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष चुनौतियां

डॉ. हनुमान प्रसाद मीना, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान
शहीद कैप्टन रिपुदमनसिंह, राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर

भारतीय समाज बदलाव के दौर से गुजर रहा है यह कहना एक तकिया कलाम-सा भले ही लगता हो लेकिन वास्तव में यह एक तथ्य है. ऐसा लगता है कि हमारी शासन व्यवस्था समस्याओं और चुनौतियों के दौर से गुजर रही है और एक ऐसी मंजिल पर आ पहुंची है जहां सामने चौराहा है. ऐसे वक्त उचित यही होगा कि हम देश के सिविल सेवकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर एक नजर डालें. सिविल सेवकों की भूमिका और भावी सिविल सेवकों के दृष्टिकोण के सवाल पर विचार करते समय जो पहली बात हमारे दिमाग में आती है वह यही है कि तीन बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की जिम्मेदारी बरकरार रहेगी. ये जिम्मेदारियां हैं नागरिकों के जान-माल की हिफाजत, जिसे आम तौर पर कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी भी कहा जाता है; न्याय की व्यवस्था करना; और शहरी तथा ग्रामीण अचल संपत्ति का सार्वजनिक रिकार्ड रखना. इन तीन बुनियादी जिम्मेदारियों के साथ सरकार के कार्यों की सूची में कई अन्य काम जैसे, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, मुद्रा, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि भी जोड़े जा सकते हैं. इन जिम्मेदारियों में से बहुत-सी को अब कुछ वाजिब कारणों से गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है. जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा इन क्षेत्रों से संबंधित अधिकाधिक गतिविधियां सरकारी क्षेत्र से गैर-सरकारी नागरिक संगठनों और स्वयं आम आदमी के पास पहुंच जाएंगी. इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि अब यह समझा जाने लगा है कि नागरिक अपने कामों को कहीं बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बल्कि इसके पीछे कई आर्थिक कारण भी हैं. एक तो सरकार के वित्तीय संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, और फिर सार्वजनिक क्षेत्र में अनेक प्रबंधकीय बाधाएं भी हैं. केन्द्र सरकार के चालू खाते में बढ़ते घाटे तथा लगभग सभी राज्यों की खस्ता आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार के लिए वे सब गतिविधियां संचालित करना असंभव होता जा रहा है जो वह स्वतंत्र भारत के प्रशासन के लिए पिछले 75 वर्षों से करती आयी है. वेतन आयोगों की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद तो स्थिति और भी विकट होती जा रही है.[01] ऐसे में बुद्धिमानी इसी में है कि सरकार अपना बोझ और जिम्मेदारियां कुछ कम करे और लोगों को अधिकार सम्पन्न बनाये. सरकार की जिम्मेदारियां कम होने और इसके अधिक कार्यकुशल होने से सिविल सेवक को और अधिक विशेषज्ञताएं और गुण अर्जित करने पड़ेंगे. पहला, सरकार के सलाहकार और निर्णय करने में सहायक के रूप में उसे सरकारी कामकाज को चुस्त-दुरस्त बनाने और उसके अधिकारों तथा दायित्वों को नयी दिशा देने को राजी करने में सकारात्मक भूमिका निभानी होगी. मानव स्वभाव में अनेक अंतर्विरोध पाये जाते हैं. उदाहरण के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 2, February 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

लिए कोई भी सिविल सेवक यह नहीं चाहेगा कि लोगों और विभिन्न मामलों में हस्तक्षेप का उसका अधिकार सीमित हो. इसी संदर्भ में बड़े जोर-शोर से किये गये संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों से उत्पन्न नयी स्थिति पर भी ध्यान देना उपयोगी होगा. 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं और 74वां शहरी स्थानीय निकायों को अधिकार संपन्न बनाने के उद्देश्य से किया गया था. राज्यों से मिली रिपोर्टों के अनुसार राज्यों ने इन अधिनियमों के अनुसार अपने कानून बनाये हैं और राज्यों के वित्त आयोगों ने भी इस बारे में सिफारिशें की हैं. लेकिन पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को सही अर्थों में कामकाज और वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण अब भी बहुत दूर की बात है. पंचायती राज संस्थाओं पर स्थानीय निकायों को राज्यों की ओर से अधिकारों और दायित्वों के सही मायने में हस्तांतरण के लिए सिविल सेवकों को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी. अधिकारों की रस्साकशी में जिस बात के महत्व को शायद नहीं समझा जा रहा है वह यह है कि केन्द्र और राज्य के स्तर पर अधिकारों के केन्द्रीकरण से समाज में बदलाव लाने और लोगों को अधिकार संपन्न बनाने में और विलम्ब होगा, जबकि पहले ही इस काम में बहुत देरी हो चुकी है. सिविल सेवकों को जो दूसरी जिम्मेदारी निभानी है वह है इन संस्थाओं को कारगर संगठन के रूप में खड़ा करने की. पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को इस तरह से मदद दी जानी चाहिए जिससे वे जनहित के अपने दायित्वों का अधिक दक्षता से नर्वाह कर सकें. उनसे ईर्ष्या की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें दूरभाव और सहानुभूति की जरूरत और यह सिविल सेवकों की ओर से अब लगातार जागृति आती रही है. यह कहना गलत नहीं होगा कि नागरिक अब अपने अधिकारों के प्रति और सचेत होकर अधिक मांगें करने लगे हैं. शिक्षा, परिवहन और संचार, जन संचार माध्यम तथा राजनीतिक प्रक्रिया-इन सब ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें नागरिक अधिक अपेक्षाएं कर रहे हैं. ऐसा करना स्वाभाविक भी है क्योंकि जनतंत्र में नागरिक ही असली मालिक हैं. अगर ऐसा है तो जिन लोगों का वास्ता आम आदमी से पड़ता है और जिन्हें नागरिकों की देखभाल व उनकी कुशलक्षेम से संबंधित कोई भी जिम्मेदारी सौंपी गयी है, भले ही यह जिम्मेदारी नियामक के रूप में हो या संरक्षक के रूप में, उन्हें नागरिकों के प्रति अधिक सावधानी तथा अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करनी होगी. सिविल सेवक को एक ऐसे प्रबुद्ध सेवक की भूमिका निभानी होगी जो निःस्वार्थ, निष्पक्ष और तटस्थ भाव से अपना कार्य करता है. जनता के आदमी के रूप में वह समाज का नेतृत्व भले ही न करता हो, मगर उसमें एक नेता की तमाम खूबियां होनी चाहिए और कभी-कभी तो उसे रोल मॉडल यानी आदर्श पुरूष की तरह भी कार्य करना पड़ सकता है[02]. आजादी के समय और आजादी से पहले के युग में हमारे समाज में बहुत बड़ी संख्या में स्वयंसेवी संगठन

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 2, February 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

कार्य कर रहे थे. उस जमाने की अनेक उपलब्धियों का श्रेय नागरिकों के स्वैच्छिक प्रयासों को दिया जा सकता है. स्वतंत्रता के बाद के सामाजिक विकास की यह विडम्बना रही है कि हमने पिछले पांच दशकों में स्वैच्छिक प्रयासों के रूप में भारी क्षति उठायी है. मगर सभ्य समाज के निर्माण में आज फिर से जो जोर दिया जा रहा है उससे ऐसा लगता है कि स्वैच्छिक संगठनों (एन.जीओ.) को अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी. सार्वजनिक और निजी भागीदारी के लिए इस समय व्यापक अवसर उपलब्ध हैं. इस परिप्रेक्ष्य में सिविल सेवक को अपनी भूमिका का पुनर्निर्धारण करना होगा. उसे समाज के निर्माण में गैर-सरकारी प्रयासों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा और सरकार की ओर से सही संकेत देने होंगे. उसे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक और निजी प्रयासों के बीच पूरा तालमेल बिठाना होगा. इसके साथ ही उससे यह भी अपेक्षा की जाएगी कि । वह अपने तथा नागरिक के बीच की । खाई को पाटने के लिए कार्य करे. कई दशकों से नागरिक प्रशासन के और करीब आने का प्रयास कर रहे के हैं जब कि सिविल सेवक अपने आप को उनसे अलग करने की कोशिश में लगे हैं. लेकिन जब तो सरकार ने कई कार्यों से अपने हाथ व पीछे खींच लिये हैं और उसकी जगह एन.जी.ओ. स्वेच्छा से आगे आ रहे न हैं तथा नागरिक अपने मामलों की देखरेख कहीं बेहतर तरीके से करने लगे हैं, तो ऐसे में सिविल सेवकों को अपनी जिम्मेदारियों को छोड़े बिना उन्हीं का एक अंग होकर कार्य करना पड़ेगा. इसके लिए उसे प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक धड़ों से बराबर दूरी बनाये रखनी होगी. साधारण कार्य प्रशासक और स्पेशलिस्ट यानी विशेषज्ञ के मुद्दे को लेकर एक लम्बी बहस चलती के रही है. इस मुद्दे पर कोई कठोर ना रवैये से बच पाना आसान नहीं है कों क्योंकि मानवीय कार्य व्यापार बड़े ही जटिल होते हैं और स्थितियों में लगातार बदलाव आ रहा है. लेकिन जहां तक सिविल सेवकों का सवाल है है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसे बेहतर पेशेवर के रूप में अपना कार्य करना होगा. अतीत में वह जैसा था या इस समय वह जैसा है, इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर व्यावसायिक कर्मी के रूप में उसे अपना काम करना होगा. उसे तकनीकी योग्यताओं के लिहाज से पेशेवर होने की जरूरत नहीं है[03] जितना उसे अपने दृष्टिकोण और कार्य के प्रति रवैये में और अधिक वैज्ञानिकता तथा व्यावसायिकता लाने की जरूरत है. उसे अपने लक्ष्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसे प्रशासन में अपनी भूमिका का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए और इस बात की भी स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि अपने कार्य को पेशेवर तरीके से कैसे किया जाए. उसे परिणामोन्मुख तो होना ही चाहिए, मगर वह भी इस तरह से कि मानवीय मूल्यों पर किसी तरह की आंच न आने पाये. मैंने देश के सामने वित्तीय समस्याओं का भी जिक्र किया था. सिविल सेवकों को पेशेवर होने के नाते अपने अन्दर लागत के बारे में जागरूकता पैदा करनी होगी. उसे

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 2, February 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

महत्वहीन बातों में अपना वक्त बरबाद करने की प्रवृत्ति से बचना होगा और धन, समय और ऊर्जा की किफायत का ध्यान रखते हुए इनका बेहतरीन उपयोग सुनिश्चित करना होगा.

सिविल सेवकों के बारे में एक शिकायत और आलोचना आम तौर पर और बार-बार की जाती रही है. कहा जाता है कि वे नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते और कई बार तो उनके प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण भी अपनाते हैं. दुर्भाग्य से इस आलोचना में थोड़ी बहुत सच्चाई है. पहली बात जो अक्सर कही जाती है वह यही है कि वे उस समय कोई आवाज नहीं उठाते, जिस समय आम जनता के व्यापक हितों के खिलाफ कोई अनुचित या गलत फैसला किया जा रहा होता है. दूसरे, अक्सर देखा गया है कि भले ही उन पर कोई राजनीतिक या अन्य दबाव न हो, मगर वे या तो बुरे इरादे से या फिर आलसी होने की वजह से कोई पहल नहीं करते. हर साल ऐसे दर्जनों मामले आते हैं जिनमें बलात्कार या हत्या जैसे अपराधों में पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किये जाने के कारण नागरिकों और पूलिस के बीच टकराव की नौबत जाती है. हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर कोई नागरिक बलात्कार के मामले में प्रथम सूचना पोर्ट दर्ज करने का आग्रह कर रहा तो क्या वह जरूरत से ज्यादा मांग कर रहा है क्या मामले की जांच पड़ताल करवाने और अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की उसकी मांग नाजायज है नहीं, मैं समझता हूं कि यह एक जायज मांग है. जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जिम्मेदार हैड कान्स्टेबल या थानेदार अपने कर्तव्य के निर्वाह में विफल रहता है तो पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं. ऐसी स्थिति में पुलिस कथित रूप से आत्म रक्षा में कोई कड़ी कार्रवाई करती है. फिर पथराव और आगजनी का सिलसिला शुरू हो जाता है. पुलिस गोलियां चलाती है. मगर इस कार्रवाई का क्या नतीजा निकलता है कुछ लाशें, जले हुए पुलिस थाने और सरकार की धूमिल छवि. यह सब इसलिए होता है क्योंकि संबंधित सिविल सेवक में जनता के प्रति संवेदनशीलता का अभाव था और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना नहीं थी. भविष्ट के सिविल सेवकों को नागरिकों के दुख और तकलीफों के प्रति और अधिक संवेदनशीलता तथा सहानुभूति प्रदर्शित करनी होगी. अपने सहकर्मि और अधीनस्थ कर्मचारियों का बचाव करना एक सीमा तक उचित लेकिन इसके बाद यह अनावश्यक अनुचित और नुकसानदेह हो जाता है[04]

क्या हमें निष्ठावान सिविल सेवा की आवश्यकता है यह सवाल बार-बार पूछा जाता रहा है. शायद यह जुमला 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद गढ़ा गया. अगर स्पष्ट रूप से कहें तो सिविल सेवक पूरी निष्ठा के साथ कार्य करता है. वह भारत के संविधान, देश के लोगों और जिस संगठन में वह कार्य कर रहा है उसके उद्देश्यों और

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 2, February 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

लक्ष्यों के प्रति समर्पित होता है. मगर निष्ठा की नयी अवधारणा, जो कि सत्ताधारी लोगों के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा पर आधारित है, बड़ी घातक सिद्ध हुई है. इससे शासन प्रणाली और सिविल सेवा की कार्य संस्कृति दोनों में विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं. जिस समय धृतराष्ट्र के राजदरबार में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था और भीष्म तथा द्रोणाचार्य चुपचाप तमाशा देख रहे थे, उस समय किसकी – निष्ठा किसके प्रति थी यह कह पाना मुश्किल है क्या वे धृतराष्ट्र के प्रति निष्ठावान थे, जो कि शासक था; या फिर उनके बेटों के प्रति उनकी निष्ठा थी, जो कि संविधानेतर व्यक्ति थे या फिर वे हस्तिनापुर देश के प्रति निष्ठावान थे अगर वे देश के प्रति निष्ठावान होते तो कहानी कुछ और ही होती. और यहीं हमारे सिविल सेवकों के लिए संदेश छिपा हुआ है. अगर वे भारत के लोगों, देश के संविधान और अपने संगठन के उद्देश्यों के प्रति निष्ठावान रहें तो शायद उन्हें और किसी के प्रति निष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जनहित के विरूद्ध किसी भी तरह की व्यक्तिगत निष्ठा का सिविल सेवक के लिए कोई अर्थ नहीं है. कहने का आशय यह नहीं कि सिविल सेवक को राजनीतिक मालिकों सहित अपने वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति वफादार, उनका विश्वास भाजन या भरोसेमंद नहीं होना चाहिए. लेकिन वफादारी या निष्ठा में दृढ़ विश्वास से उत्पन्न होने वाला वह साहस भी शामिल होता है जिससे कोई व्यक्ति अपने वरिष्ठ अधिकारियों तथा राजनीतिक .मालिकों को क्या जनहित में है और जनहित के विरूद्ध है इस बारे में सही–सही सलाह दे सकता है. वफादारी और विश्वसनीयता का यह मतलब नहीं है अपने से वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशों को आंख मूंद कर लागू किया जाए. ऐसा करते समय विवके से काम लेना जरूरी है.[05] मेरा खयाल है कि ये ऐसे गुण हैं जिन्हें आने वाले समय में सिविल सेवकों को और अधिक अपनाना होगा. आज हमारी न्यायपालिका का एक नया आयाम उजागर हो रहा है जिसे कुछ लोग न्यायिक सक्रियता और कुछ अन्य न्यायिक आक्रामकता नाम दे रहे हैं. नाम चाहे जो हो, जो बात एकदम साफ है वह यह है कि न्यायपालिका सार्वजनिक मामलों के प्रति अत्यंत संवेदनशीलता प्रदर्शित कर रही है और कार्यपालिका के निर्णयों तथा निर्णय करने वालों के इरादों को लेकर अक्सर सवाल करने लगी है. अब सिविल सेवक अपनी सेवा की आड़ में जवाबदेही से नहीं बच सकते. न ही वे कोई दस्तावेज दिखाने के अदालत के आदेश मिलने पर विशेषाधिकार का फायदा उठा सकते हैं. आने वाले समय में तो ऐसा करना और भी अधिक कठिन होता जाएगा. फिर इन दिनों प्रशासन में पारदर्शिता की जो मांग उठ रही है, वह गोपनीयता कानून के एकदम उलट है. भविष्य के सिविल सेवकों को अपने बचाव के लिए तिनके का सहारा भी मिलने वाला नहीं है. उसे स्वयं ही अपना बचाव करना होगा. समाज और प्रत्येक नागरिक को सिविल सेवकों से यह जानने का पूरा हक है कि उनके काम करने के तौर ने तरीके क्या हैं और किस आधार पर निर्णय लिये गये हैं. ऐसी स्थितियों में

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 2, February 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

सिविल सेवकों के पास और अधिक में जवाबदेही के साथ कार्य करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है.[06]

संक्षेप में भविष्य में सिविल सेवकों नों को भारी चूनौतियों का सामना करना पड़ेगा. हालात दिन पर दिन ज्यादा पेचीदा और उलझन भरे होते जा रहे है और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में कई बातों का असर पड़ने लगा है. नागरिकों के प्रति संवेदनशील सरकार आज समय की पुकार है. जनता को अधिकार संपन्न बनाना अब महज एक नारा नहीं रह गया है. इतना ही नहीं आज सबसे बडी चुनौती हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताये गये महान आदर्शों और मूल्यों को साकार करने की है. संविधान में स्पष्ट शब्दों में कहा गया हम भारत के लोग, इस बात का दृढ़ संकल्प लेते हैं कि भारत को प्रभुसत्ता संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता सामाजिक स्तर और अवसर की समानता दिलाने; तथा सब नागरिकों व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भाईचारा कायम करने के लिए; अपनी संविधान सभा में आज 26 नवम्बर, 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को स्वीकृत, अधिनियमित – और आत्मार्पित करते हैं[07]. भारत राष्ट्र और सिविल सेवकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती संविधान की प्रस्तावना (मूल) में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने की है और इसी में भारत के लोगों के लिए सबसे बड़े अवसर भी निहित हैं.

संदर्भ

1 प्रो. वर्मा गोविन्दराम भारतीय राजनीति और शासन मेकमिलन कम्पनी ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली – 1982

2 दास आर.पी.एण्ड सिंह , डी.पी डेमोक्रेटिक एण्ड एक्जीक्यूटी इन लोकल गवर्नमेंट'' नई दिल्ली – 1968

3 चौहान, घनश्याम भारतीय राजनीति और सरकार, सुमित एन्टरप्राईजेज, नई दिल्ली – 2005

4 दुबे, श्याम चरण गरीबी को समझना, विकासशील देशों की समस्याऐं, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी – 1995

5 देसाई, ए.आर. कास्ट सिस्टम इन रूरल इण्डिया, द इण्डियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स, बम्बई – 1998

6 घोष, बुद्धा बेक एण्ड कुमार ग्रीस स्टेट पोलिटिक्स एण्ड पंचायतीराज इन इण्डिया मनोहर पब्लिशिंग, नई दिल्ली 2003 सोमजी ए.एच. डेमोक्रेसी एण्ड पोलिटिकल चेंज इन विलेज इण्डिया ओरियंट लोंगमैन, न्यू देहली – 1971

7 चहार, एस.एस. गवर्नेन्स ऐट ग्रास रूट लेवल इन इण्डिया, कनिष्का पब्लिशर्स नई दिल्ली – 2005